न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 178 / 2026

अनवान : –

1. दलीप कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर हाल निवासी नथोर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी नथोर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. सरोज पुत्री रामकुमार पत्नी दोलताराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील नोहर।
3. कोशल्या पुत्री रामकुमार पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी फतेहपुर सिरसा।
4. ममता पुत्री रामकुमार पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 307 / 286 के ख0न0 90 की कुल 7.2720 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 228 / 212 के ख0न0 90 / 402 की कुल 3.3900 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 जो की वादी की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है प्रतिवादी स0 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है एवं प्रतिवादी स0 1 ने भी उक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 जो की वादी की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है प्रतिवादी स0 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है एवं प्रतिवादी स0 1 ने भी उक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 307/286 के ख0न0 90 की कुल 7.2720 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 228/212 के ख0न0 90/402 की कुल 3.3900

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगा के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि के वादीगण बहिब के खातदोर काश्तकार है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 4 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 307/286 के ख0न0 90 की कुल 7.2720 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 228/212 के ख0न0 90/402 की कुल 3.3900 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 178 / 2026

अनवान : –

1. दलीप कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर हाल निवासी नथोर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी नथोर तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. सरोज पुत्री रामकुमार पत्नी दोलताराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील नोहर।
3. कोशल्या पुत्री रामकुमार पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी फतेहपुर सिरसा।
4. ममता पुत्री रामकुमार पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 178 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री सन्तलाल तिवाड़ी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 307 / 286 के ख0न0 90 की कुल 7.2720 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 228 / 212 के ख0न0 90 / 402 की कुल 3.3900 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर